

12/2023

शाहीगणोंके शाहीना पत्र धारा 212-पाठ तथा  
 तहसीलदार अनाम डी मोंडारिपोटीमें शाहीगणों तथा  
 भशाहीगणोंका श्रमगत आराजीयात पर कृष्णा  
 भारत बनाया गया है। अतः दिनांक 30/1/2023 की  
 पत्रावलीमें जारी अस्वारी अन्तरिम निषेधाज्ञा  
 का कोई अचिन्त शेष नहीं रह जाता है। अतः  
 पत्रावलीमें जारी अन्तरिम अस्वारी निषेधाज्ञा  
 दिनांक 30/1/2023 अफेश अपास्त किया जाकर  
 निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। ~~तथा~~ तथा  
 शाहीगणों द्वारा प्रस्तुत शाहीना पत्र धारा 212-पाठ  
 अनुलोष योग्य ना होने तथा शाहीगणों द्वारा  
 अनुलोष योग्य होना सिद्ध करने में असफल रहने  
 के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली केंसल  
 शुमार हो। नम्बर सेकम होकर लिखिल कथित रही।  
 निर्णय आज दिनांक 30/1/23 की  
 शरि इजलास सुनाया गया।

SPO. BHAWANA  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मिनाय (केकड़ी)